नेपाल में भारतीय नागरिकों की कानूनी सहायता हेतु डॉ. कुलदीप प्रसाद शर्मा का तीन वर्ष के लिए मनोनयन

नेपाल स्थित भारतीय दूतावास से संबंधित मनोनयन की सूचना, भारत-नेपाल सहयोग को मिलेगा प्रोत्साहन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 15 अक्टूबर (का.सं.)। राजस्थान के टोंक जिले के निवासी एवं अन्तर्राष्ट्रीय समरसता मंच के संयोजक तथा ईस्ट-वेस्ट लॉ फर्म, काठमांडू (नेपाल) से जुड़े अधिवक्ता डॉ. कुलदीप प्रसाद शर्मा ने बताया कि नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय नागरिकों को सहायता एवं कानूनी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए उनका तीन वर्ष की अवधि हेतु मनोनयन किया गया है।



डॉ. शर्मा के अनुसार, वे विगत सात वर्षों से अधिक समय से नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों तथा नेपाल में अस्थायी रूप से निवास करने वाले भारतीयों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने संबंधी कार्ययोजनाओं से जुड़े हुए हैं।

इस दिशा में पूर्व प्रेस परिषद अध्यक्ष एवं नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बोर्ण बहादुर कार्की, न्यायमूर्ति गिरीश चन्द्र लाल, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय नेपाल तथा न्यायमूर्ति लोकेन्द्र मलिक, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय नेपाल के मार्गदर्शन एवं सान्निध्य में कार्य किए जाने की बात उन्होंने कही।

डॉ. कुलदीप प्रसाद शर्मा ने यह भी बताया कि नेपाल सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति माननीय न्यायमूर्ति परमानन्द झा द्वारा उन्हें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में विशिष्ट सलाहकार के रूप में मनोनीत किया गया है। उनके अनुसार, नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव एवं अताशे (कांसुलर) श्री नवयोद योबिन के माध्यम से दूतावास के पंजीकरण क्रमांक 10019/2026, दिनांक 6 अक्टूबर 2026, से संबंधित मनोनयन की सूचना प्रेषित की गई है।

इस मनोनयन की सूचना के बाद डॉ. शर्मा को फोन के माध्यम से अनेक भारतीय नागरिकों, शुभचिंतकों एवं परिचितों ने बधाई और शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को आवश्यक कानूनी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा भारत-नेपाल के मैत्रीपूर्ण, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करना रहेगा।

जयपुर से चंडीगढ़ के बीच अब 3 फ्लाइट

दिन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को होगा फायदा, जानें क्या होगा शेड्यूल

जयपुर,वेब वार्ता । इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर है। इंडिगो एयरलाइन की ओर से दोनों शहरों के बीच हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई फ्लाइट शुरू की जाएगी। इससे यात्रियों को सुबह और शाम के अलावा दोपहर में भी हवाई सफर करने का विकल्प मिलेगा।



नई फ्लाइट शुरू होने के बाद जयपुर से चंडीगढ़ के बीच हर दिन संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़कर तीन हो जाएगी। जयपुर से दोपहर में भरेगी उड़ान इंडिगो की फ्लाइट 6ई-7516 जयपुर से दोपहर 1:15 बजे चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरेगी। वापसी में फ्लाइट 6ई-7517 चंडीगढ़ से शाम 4:15 बजे जयपुर पहुंचेगी।

इस नई सेवा के शुरू होने से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को दिन के समय भी हवाई यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। खासकर ऐसे यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जिन्हें सुबह जल्दी या देर शाम की फ्लाइट के बजाय दोपहर के समय यात्रा करना ज्यादा सुविधाजनक लगता है।

सुबह, दोपहर और शाम को मिलेगी फ्लाइट की सुविधा

जयपुर और चंडीगढ़ के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से यात्रियों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। अभी तक इस रूट पर यात्रियों को सीमित समय के विकल्पों के अनुसार अपनी यात्रा तय करनी पड़ती थी। नई फ्लाइट शुरू होने के बाद सुबह, दोपहर और शाम के समय उड़ान उपलब्ध होने से यात्रियों के पास ज्यादा विकल्प होंगे। इससे व्यावसायिक कामकाज, सरकारी बैठकों, पर्यटन और निजी यात्राओं के लिए दोनों शहरों के बीच आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सकती है।

सीकर में सोशल मीडिया फ्रेंड ने किया नाबालिग से रेप

शादी का झांसा देकर ले गया, आरोपी के दोस्त ने भी किया सपोर्ट

सीकर,वेब वार्ता । जिले में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद आरोपी युवक नाबालिग को अपने साथ लेकर चला गया। इसके बाद उसके साथ रेप किया। इस मामले में आरोपी युवक के दोस्त ने भी उसका सपोर्ट किया। अब पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

बहला-फुसलाकर ले गया सोशल मीडिया दोस्त

इस संबंध में नाबालिग की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग की पड़ोसी जिले के रहने वाले एक युवक से सोशल मीडियो पर दोस्ती हुई थी। वह युवक 17 सितंबर को नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद नाबालिग को अलग-अलग जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया।

जैसे-तैसे आरोपी के चंगुल से निकलकर नाबालिग अपने घर पहुंची और घरवालों को आपबीती बताई। नाबालिग ने बताया कि आरोपी ने पहले उसे साथ ले जाने और शादी करने का झांसा दिया था।

ऐसे में नासमझ लड़की उसकी बातों में आ गई थी। इसके बाद ही आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। नाबालिग लड़की को ले जाने में आरोपी युवक के दोस्त ने भी सपोर्ट किया। अब पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है।

22 साल की युवती के अश्लील वीडियो वायरल किए सीकर जिले में 22 साल की युवती के अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में युवती ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि गांव के ही रहने वाली आरोपी युवक के द्वारा पहले तो युक्ति के अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए गए। बाद में इन्हें आरोपी के द्वारा किसी और को शेयर कर दिया गया। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है।

नापासर पुलिस ने 4 ग्राम एमडी के साथ आरोपी पकड़ा

नापासर,वेब वार्ता । जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देश पर नापासर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। ऑपरेशन नीलकंठ के तहत हैमेरा गांव से बजरंगलाल मुंड को 4 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया गया।

ऑपरेशन नीलकंठ के तहत हैमेरा गांव में हुई कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट में केस दर्जअगले एक सप्ताह भी शुष्क रहेगा मौसम मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक कोटा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

थानाधिकारी कविता पुनिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने हैमेरा में दबिश दी। टीम ने आरोपी बजरंगलाल मुंड को पकड़ा और उसके पास से 4 ग्राम एमडी मिली।पूरे करने के लिए चोरी करता पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। उससे मादक पदार्थ की खरीद और सप्लाई के बारे में पूछताछ की जा रही है।पूरे करने के लिए चोरी करता था।

इस कार्रवाई में थानाधिकारी कविता पुनिया के साथ कांस्टेबल सुरेंद्र बाना, गोरखाराम, गोगराज और सीताराम शामिल थे।

बबूल की झाड़ियां हटाने के मामले में पार्षद पर मुकदमा, निष्पक्ष जांच की मांग

वार्डवासियों ने पहले एसडीएम और फिर डीएसपी को सौंपा ज्ञापन, पार्षद आशाराम वैष्णव के खिलाफ दर्ज मुकदमे को बताया निराधार

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 15 अक्टूबर (दीपांकुर चौहान)। शहर की अजमेर रोड स्थित राधा स्वामी कॉलोनी के वार्ड संख्या 2 के निवासियों ने वार्ड 38 के कांग्रेस पार्षद आशाराम वैष्णव के खिलाफ दर्ज मुकदमे को झूठा और निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में वार्डवासियों ने पहले उपखंड अधिकारी (एसडीएम) को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद 15 अक्टूबर को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), केकड़ी को ज्ञापन देकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की।



ज्ञापन में वार्डवासियों ने बताया कि शक्ति कम्पटीशन के मुख्य मार्ग पर बबूल के पेड़ और झाड़ियां उगी हुई हैं, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए 13 अक्टूबर को नगर पालिका केकड़ी में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वार्डवासियों के अनुसार, इसके बाद उन्होंने वार्ड 38 के कांग्रेस पार्षद आशाराम वैष्णव से रास्ते की समस्या दूर करवाने का आग्रह किया। इस पर पार्षद ने नगर पालिका की जेसीबी की सहायता से रास्ते में पड़े पत्थरों और बबूल की झाड़ियों को हटवाने का प्रयास किया। इसी मामले में पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर वार्डवासियों ने आपत्ति जताई है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि आपसी रंजिश के चलते पार्षद के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वार्डवासियों ने पुलिस उपाधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, पूरे प्रकरण की वास्तविकता सामने लाने और नियमानुसार उचित कार्रवाई करने की मांग की।

सभापति कुबेर गोयल और पार्षदों का केशव फ्रेश में किया स्वागत-सम्मान

क्लास साथी के सभापति बनने पर केशव गुप्ता ने जताई खुशी, बोले- उनके नेतृत्व में गंगापुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा

गंगापुर सिटी, मदन मोहन गर्ग। वजीरपुर स्थित केशव फ्रेश की ओर से नगर परिषद गंगापुर के सभापति कुबेर गोयल एवं पार्षद गिरधारी लाल गुप्ता, पंकज मंगलम सहित पार्षदगणों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस दौरान आत्मीयता और सौहार्द के माहौल में जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन कर उनके उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी गईं। केशव फ्रेश की ओर से किए गए इस स्वागत-सम्मान को लेकर सभापति एवं पार्षदों के प्रति सम्मान और अपनत्व का भाव व्यक्त किया गया।



केशव फ्रेश के मालिक केशव गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद गंगापुर के नवनिर्वाचित सभापति कुबेर गोयल उनके क्लास साथी रहे हैं। ऐसे में उनके सभापति बनने पर उन्हें विशेष खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि कुबेर गोयल के साथ उनका पुराना परिचय और मित्रता रही है। उनके सभापति बनने से उन्हें उम्मीद है कि गंगापुर शहर में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और शहर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

केशव गुप्ता ने कहा कि शहर के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आमजन की समस्याओं का समाधान, स्वच्छता व्यवस्था में सुधार, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किसी भी शहर के विकास की आधारशिला है। उन्हें विश्वास है कि कुबेर गोयल के नेतृत्व में नगर परिषद गंगापुर शहरवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी।

पानी भरने को लेकर विवाद के बाद 5-युवकों से मारपीट

एक झुंझुनूं रेफर; घायलों में एक नाबालिग भी शामिल, सभी घायल यूपी के रहने वाले है

झुंझुनूं,वेब वार्ता । कस्बे के काकोड़ा रोड स्थित वार्ड नंबर 6 में शनिवार देर रात पानी भरने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया।

घटना में 5 युवक घायल हो गए। सभी घायल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और सूरजगढ़ में किराए के मकान में रहकर पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) का काम करते हैं।

घायलों में एक नाबालिग भी शामिल है। गंभीर रूप से घायल एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल झुंझुनूं रेफर किया गया।

पानी भरते समय बाइक सवार से हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, युवक शनिवार देर रात पानी भर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर वहां से गुजर रहे एक अज्ञात व्यक्ति से किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। युवकों का आरोप है कि बाइक सवार ने उनके साथ गाली-गलौच की और इसके बाद वहां से चला गया।

घायल युवकों के अनुसार कुछ देर बाद बाइक सवार व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया। आरोप है कि इसके बाद सभी ने युवकों के साथ मारपीट की, जिसमें पांच युवक घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

समिति की एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया

घटना की सूचना मिलने पर जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। समिति की एंबुलेंस से सभी घायलों को सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया।

5 घायल, 1 झुंझुनूं रेफर

घायलों की पहचान संजय (34), शिवम (21), अखिलेश (20), इंद्र सिंह (27) और अनुराग (17) के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद इंद्र सिंह की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल झुंझुनूं रेफर किया गया। अन्य घायलों का सूरजगढ़ अस्पताल में उपचार किया गया।

घटना की सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल राजवीर पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली।

सेंटर फॉर साइट और पालीवाल आई हॉस्पिटल ने जोधपुर में शुरू की एडवांस्ड कॉन्टूरा विजन सुविधा

साझेदारी से राजस्थान में व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप दृष्टि सुधार और व्यापक नेत्र चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच होगी मजबूत

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जोधपुर, 15 अक्टूबर (का.सं.)। सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स ने पालीवाल आई हॉस्पिटल के साथ मिलकर जोधपुर स्थित अपने मुख्य पाल रोड सेंटर में कॉन्टूरा विजन सुविधा शुरू की है। इस पहल से जोधपुर में मरीजों को व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप लेसिक **(LASIK)** सर्जरी और व्यापक नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस साझेदारी के तहत पालीवाल आई हॉस्पिटल के स्थानीय अनुभव और स्थापित उपस्थिति के साथ सेंटर फॉर साइट की चिकित्सकीय विशेषज्ञता, एडवांस्ड तकनीक और देशव्यापी नेटवर्क का लाभ मरीजों को मिलेगा।



इस एडवांस्ड लेसिक सुविधा का उद्घाटन मुख्य अतिथि जोधपुर नगर निगम के माननीय मेयर, श्री प्रसन्न चंद मेहता जी की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर जोधपुर नगर निगम के पार्षद श्री कन्हैया लाल जी पारीक और श्री संजय जी विश्नोई, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस लॉन्च कार्यक्रम में पालीवाल आई हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. महेंद्र पालीवाल; पालीवाल आई हॉस्पिटल के कंसल्टेंट्स डॉ. प्रतीक जैन, डॉ. विकास शर्मा, और सेंटर फॉर साइट, जोधपुर के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. रतन पुरोहित भी उपस्थित रहे।

जोधपुर नगर निगम के माननीय मेयर, श्री प्रसन्न चंद मेहता जी ने कहा,जोधपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का अर्थ है कि लोगों को अपने शहर में ही विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। सेंटर फॉर साइट और पालीवाल आई हॉस्पिटल की यह साझेदारी देशव्यापी विशेषज्ञता और स्थानीय अनुभव को एक साथ लेकर आई है। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इससे जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को लाभ मिलेगा।

सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स के चेयरमैन एवं मेडिकल डायरेक्टर प्रो. (डॉ.) महिपाल एस. सचदेव ने कहा, हमारा उद्देश्य विशेषज्ञ चिकित्सकीय अनुभव और उपयुक्त तकनीक को उन समुदायों के और करीब लाना है, जिनकी हम सेवा करते हैं। सेंटर फॉर साइट के नेटवर्क की ताकत विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध चिकित्सकीय अनुभव और उपचार के विकल्पों में है, जिनके माध्यम से मरीजों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप देखभाल की जा सकती है। पालीवाल आई हॉस्पिटल के साथ हमारी साझेदारी इस विशेषज्ञता को स्थानीय समुदाय की जरूरतों की गहरी समझ से जोड़ती है। जोधपुर में कॉन्टूरा विजन की शुरुआत से पात्र मरीजों को अपने शहर में ही दृष्टि सुधार का एक और एडवांस्ड विकल्प मिलेगा। पालीवाल आई हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. महेंद्र पालीवाल ने कहा, हमारे मरीजों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसी चिकित्सकीय टीम से परामर्श मिले, जो उनकी जरूरतों को समझती हो और उपचार के दौरान लगातार उपलब्ध रहे। सेंटर फॉर साइट के साथ साझेदारी हमारी चिकित्सकीय क्षमताओं को मजबूत करती है, साथ ही मरीजों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव भी बनाए रखती है। मोतियाबिंद, रेटिना, ग्लूकोमा और बच्चों की आंखों की देखभाल जैसी सेवाओं के साथ कॉन्टूरा विजन की सुविधा जुड़ने से हम जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों की अधिक व्यापक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इससे मरीजों को शुरुआती जांच से लेकर उपचार के बाद की नियमित निगरानी तक बेहतर सहयोग मिल सकेगा। कॉन्टूरा विजन एक एडवांस्ड टोपोग्राफी-गाइडेड लेसिक प्रक्रिया है, जिसमें आंख के कॉर्निया यानी आंख के सामने मौजूद पारदर्शी सतह के लगभग 22,000 बिंदुओं की मैपिंग की जाती है। चश्मे के नंबर और अन्य चिकित्सकीय माप के साथ यह विस्तृत मैपिंग सर्जन को प्रत्येक मरीज के कॉर्निया की विशिष्ट बनावट को समझने और उसके अनुसार लेजर उपचार की योजना तैयार करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया मायोपिया यानी निकट दृष्टिदोष और एस्टिग्मेटिज्म यानी दृष्टिवैषम्य से पीड़ित उन मरीजों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो चिकित्सकीय जांच के आधार पर इस उपचार के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। प्रत्येक आंख की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उपचार की योजना बनाना व्यक्तिगत दृष्टि सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। उपयुक्त मरीजों में यह प्रक्रिया चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है, जिससे रोजमर्रा के काम अधिक सुविधाजनक हो सकते हैं। राजस्थान में सेंटर फॉर साइट की उपस्थिति जयपुर, झुंझुनूं, अजमेर और जोधपुर तक फैली हुई है। इसके तहत जोधपुर में दो केंद्र और जयपुर के मालवीय नगर तथा वैशाली नगर में भी केंद्र संचालित हैं। पालीवाल आई हॉस्पिटल में कॉन्टूरा विजन की शुरुआत से क्षेत्र में सेंटर फॉर साइट की मौजूदगी और मजबूत होगी। इससे जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों तथा परिवारों के लिए विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार होगा।

प्राणघातक हमले के मामले में धनसिंह बरी, न्यायालय ने दिया संदेह का लाभ

एडवोकेट जीएस सोढ़ी और आसिफ हुसैन की प्रभावी पैरवी, अभियोजन पक्ष के 15 गवाहों के बावजूद दोष सिद्ध नहीं

केकड़ी (दीपांकुर चौहान)। प्राणघातक हमले एवं पुलिस दल पर फायरिंग करने के आरोप से जुड़े वर्ष 2015 के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी धनसिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए हैं। मामले में आरोपी की ओर से एडवोकेट जीएस सोढ़ी एवं एडवोकेट आसिफ हुसैन ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए।

यह था पूरा मामला

अभियोजन के अनुसार, 5 मई 2015 को रात करीब 10:45 बजे भिनाय थानाधिकारी अमराराम को सूचना मिली कि ग्राम पिपरौली में शादी समारोह के दौरान देशी कट्टे से फायरिंग में भगवान सिंह एवं दौलत सिंह घायल हो गए हैं। दोनों को उपचार के लिए अजमेर भेजा गया था। सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर जा रहे थानाधिकारी ने टाटोटी के आगे पिपरौली की तरफ एक स्कॉर्पियो को रुकवाने का प्रयास किया। आरोप है कि चालक वाहन को कच्चे रास्ते की ओर भगाकर ले गया। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के दौरान वाहन में सवार एक व्यक्ति ने पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से देशी कट्टे से फायर किया और वाहन लेकर फरार हो गया।

न्यायालय में हुई सुनवाई

पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 एवं 353 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/27 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए तथा 13 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए।

आरोपी धनसिंह की ओर से एडवोकेट जीएस सोढ़ी एवं एडवोकेट आसिफ हुसैन ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए विभिन्न कानूनी तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के तर्कों पर विचार करते हुए आरोपी धनसिंह को संदेह का लाभ प्रदान किया और बरी करने के आदेश दिए।

श्री करणी माता मंदिर में मिलेगा धार्मिक आस्था, भक्ति और सामाजिक एकता का संदेश

17 अक्टूबर को आयोजित जागरण में नंदू भाई कितासर एवं मोनिका सरदारशहर देंगे भक्तिमय प्रस्तुतियां

18 अक्टूबर को सवेरे झांकी एवं शोभायात्रा निकालेंगे

प्रभात अभिनन्दन न्यूज



चूरू, 15 अक्टूबर (का.सं.)। स्थानीय शेखावत कॉलोनी में स्थित श्री करणी माता मंदिर में शनिवार 17 अक्टूबर से दो दिन तक धार्मिक आस्था, भक्ति और सामाजिक एकता का संदेश देखने को मिलेगा। यहां भरत सिंह शेखावत और रतन सिंह शेखावत ने बताया कि यहां श्री करणी माता युवा सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत श्री करणी माता मंदिर शेखावत कॉलोनी, वार्ड नं. 20, चूरू शनिवार 17 अक्टूबर को सातवें विशाल जागरण का आयोजन होगा। जागरण में प्रसिद्ध भजन गायक नंदू भाई कितासर एवं गायिका मोनिका सरदारशहर द्वारा भक्तिमय प्रस्तुतियां दी जाएगी। आयोजन समिति ने बताया कि 18 अक्टूबर 2026 को झांकी एवं शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो प्रातः 9:15 बजे श्री करणी माता मंदिर से शुरू होगी। यहां समिति की ओर से बच्चों की खेल प्रतियोगिता 11 अक्टूबर से ही लगातार आयोजित की जा रही है। आयोजन में शेखावत कॉलोनी के समस्त निवासी एवं समिति के सदस्य सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। समिति ने सभी श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने की अपील की है।

किफ्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: छठी मंजिल, किफ्स कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के पास, अशोक वाटिका के पास, बीआरटीएस, इस्कॉन - अंबली रोड, बोदकदेव, अंबली, अहमदाबाद, गुजरात - 380054
कॉर्पोरेट कार्यालय: सी-902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - 400063, महाराष्ट्र, भारत,
फोन नंबर: +91 22 61796400, **ई-मेल:** contact@kifshousing.com **वेबसाइट:** www.kifshousing.com
CIN: U65922GJ2015PLC085079 RBI COR: DOR-00145

परिशिष्ट IV सांकेतिक कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किफ्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (केएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लेखित उधारकर्ता/गारंटर को मांग नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने को कहा गया है। ऋणकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणकर्ता/गारंटर तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में हैं। विशेष रूप से ऋणकर्ता तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन किफ्स के परिवर्तन के अधीन होगा, जो कि नीचे उल्लेखित राशि तथा उस पर ब्याज के रूप में होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं का नाम / गारंटर और एनपीए की तारीख	मांग नोटिस दिनांक / बकाया राशि / शाखा / लैन	सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरणः	कब्ज़ा नोटिस दिनांक/प्रकार
1.	1. संदीप कुमार (आवेदक) 2. उर्मिला देवी (सह-आवेदक) एनपीए तिथि: 10 जुलाई, 2026	मांग सूचना दिनांक: 08 अगस्त, 2026 राशि: रु. 814145/- शाखा/LAN: श्री गंगानगर/35994/ LNHESRG018770	1-सी-2, सुखाड़िया नगर, आवासीय प्लॉट, अहाता संख्या 59 का भाग, चक 3 बी, छोटी, श्री गंगानगर, राजस्थान 335001, **विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँ: पूर्वः** ओम प्रकाश भट्ट का घर, **पश्चिमः** 22 फीट चौड़ी सड़क, **उत्तरः** गुरचरण का घर, **दक्षिणः** खुशी राम का घर। **स्थल के अनुसार सीमाएँ: पूर्वः** ओम प्रकाश भट्ट का घर, **पश्चिमः** 22 फीट चौड़ी सड़क, **उत्तरः** गुरचरण का घर, **दक्षिणः** खुशी राम का घर।	सांकेतिक 13 अक्टूबर, 2026

उधारकर्ताओं/गारंटियों को चेतावनी

उधारकर्ताओं/गारंटियों को यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति को बाद में किसी भी समय सार्वजनिक नीलामी/निविदाओं के माध्यम से बेचा जा सकता है और इस प्रकार इसे सुरक्षा (ब्याज) प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है। बाधाओं के कारण विस्तृत सूची और पंचनामा दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसी संपत्ति की तस्वीरें ली गई हैं।

दिनांक : 16.10.2026 । स्थान : राजस्थान — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, किफ्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

pnb Housing Finance Limited — Ghar Ki Baat

ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना ई-नीलामी-वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)
रजि. कार्यालय:- 9वीं मंज़िल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन:-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट:-www.pnbhousing.com
B.O. बीकानेर: B-46-B, दूसरी मंज़िल, सादुल गंज, बीकानेर-334002, B.O. भिवाड़ी: A-10, पहली मंज़िल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई-पास, भिवाड़ी, राजस्थान-301019.

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार **''जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर''** बेचा जाएगा। एतद्द्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियाँ का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मानसिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	एनोज्ञ एनकम ब्रेसकोर्टेक्स,यदि कोईहे (के)
276660000803, 2767000012344 सुशील कुमार माली एवं कमला देवी माली, मुन्नी लाल नाई, अर्जुन सिंह एवं श्रवण कुमार माली, बी.ओ.: बीकानेर	रू. 12,79,939.75 और 21/12/2018	भौतिक कब्जा	वार्ड नंबर 19, मोहनपुरा, कच्ची बस्ती, पानी की टंकी के पास, नोखा, जिला- बीकानेर, राजस्थान, पिन कोड:- 33480	रु. 9,17,000	रु. 91,700	2/11/2026	रु. 10,000	24-10-2026, 10:00 एएम- 5:30 पीएम	03.11.2026, 02.00 पीएम - 03.00 पीएम	ज्ञात नहीं है
एचओयू/बीएचआई/0217/356189, तन्मय सिंघा और सोमा दास, बी.ओ.: भिवाड़ी	रू. 9,58,985.51/- और 17/01/2023	भौतिक कब्जा	यूनिट नंबर 1005 10वीं मंजिल, टावर सी-4, एवलॉन होम्स, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान-301019, भारत, 460 वर्ग फीट माप	रु. 2,89,000	रु. 28,900	2/11/2026	रु. 10,000	24-10-2026, 10:00 एएम- 5:30 पीएम	03.11.2026, 02.00 पीएम - 03.00 पीएम	ज्ञात नहीं है
एचओयू/बीएचआई/0119/639649, गुरिंदर सिंह एवं रीता रानी, बी.ओ.: भिवाड़ी	रू. 7,31,027.49 और 14/02/2024	भौतिक कब्जा	ब्लॉक बी फ्लैट नंबर-105, वंशिका होम्स, खसरा नंबर 18 19 35 50 55 59 1417/63 66 गांव, तहसील-तिजारा जिला-अलवर, राजस्थान-301019, भारत, क्षेत्रफल 527 वर्ग फुट	रु. 4,98,000	रु. 49,800	2/11/2026	रु. 10,000	24-10-2026, 10:00 एएम- 5:30 पीएम	03.11.2026, 02.00 पीएम - 03.00 पीएम	ज्ञात नहीं है

***18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।** (1.) आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। (2.) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। (3.) कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। **(4.) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - www.bankeauctions.com संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको श्याम सुंदर, रवि कुमार, टोल फ्री नंबर -1800120 8800, ई-मेल: auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या www.pnbhousing.com देखें।**

स्थान:- राजस्थान | दिनांक:- 16.10.2026 | एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः **yuvrajsinghh@gmail.com** पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ/JPC/D-009/2006-08**